श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि

अपीलीय सिविल

हरबंस सिंह, मुख्य नयायाधिपती और बल राज तुली, नयायाधिपती,के सामने।

श्रीमती दमयंती देवी आदि, - अपीलकर्ता।

बनाम

श्रीमती सीता देवी आदि-प्रतिवादी।

1969 के आदेश क्रमांक 24 से प्रथम अपील।

19 नवंबर 1971.

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV) - धारा 110-ए और 110-बी - घातक दुर्घटना अधिनियम (1855 का XIII) - धारा 1-ए और 2 - दोनों अधिनियमों के प्रावधान - चाहे परस्पर विरोधी हों - धारा 1-ए के प्रतिबंधात्मक प्रावधान , घातक दुर्घटना अधिनियम - क्या मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावे पर लागू होता है - दुर्घटना में जीवन की हानि के लिए 'उचित' मुआवजा - का निर्धारण - मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति - कब विचार किया जा सकता है - वारिस द्वारा प्राप्त बीमा दावा बीमा पॉलिसी में नामांकित व्यक्ति के रूप में मृतक - क्या ऐसे उत्तराधिकारी को देय मुआवजे से कटौती की जा सकती है - निर्धारित मुआवजे से कटौती - क्या एकमुश्त भुगतान के कारण किया जा सकता है - भविष्य के वर्षों में मृतक की आय में संभावित वृद्धि मुआवजे का निर्धारण करते समय इस पर विचार नहीं किया गया - एकमुश्त भुगतान में कटौती - क्या अभी भी किया जा सकता है।

निर्धारित किया गया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी उन दावों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है जिनके लिए घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1-ए और 2 में प्रावधान किया गया है। घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1-ए और 2 के तहत, धारा 1-ए में उल्लिखित एक या अधिक लाभार्थियों और धारा 2 में उल्लिखित मृतक की संपत्ति के लाभ के लिए मृतक के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि द्वारा कार्रवाई की जानी है। दूसरी ओर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए यह निर्धारित करती है कि जहां किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, उस दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया जाना है। और जहां मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के लिए ऐसे किसी आवेदन में शामिल नहीं होते हैं आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाना है और जो कानूनी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन के प्रतिवादी के रूप में

शामिल किया जाना है। इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों के लिए और उनकी ओर से है, यानी कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई संपत्ति की ओर से। हालाँकि मुआवज़ा धारा 110-बी के तहत प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्धारित किया जाना है। प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि को दिया जाने वाला मुआवजा न केवल प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि को होने वाले नुकसान तक ही सीमित है, बल्कि ऐसी राशि भी है जो ट्रिब्यूनल को उचित लगती है। ट्रिब्यूनल को उस व्यक्ति या व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट करना है, जिन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी की भाषा स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुआवजे को पहले उदाहरण में निर्धारित किया जाना चाहिए और मुआवजे को कानूनी प्रतिनिधियों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए जैसा कि ट्रिब्यूनल निर्धारित कर सकता है। इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान घातक दुर्घटना अधिनियम की तुलना में व्यापक हैं और वास्तव में दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। मुआवजे के निर्धारण के लिए जो सिद्धांत घातक दुर्घटना अधिनियम के प्रावधानों के तहत विकसित किए गए हैं, उन्हें उचित मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवेदनों पर लागू किया जा सकता है। हालाँकि, घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा एल-ए का प्रतिबंधात्मक प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावे पर लागू नहीं होता है। ट्रिब्यूनल के समक्ष, मृतक की पूरी संपत्ति का प्रतिनिधित्व उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और मुआवजा संपत्ति को हुए नुकसान के आधार पर निर्धारित किया जाना है जिसे कानूनी प्रतिनिधियों के बीच वितरित किया जाना है। कानूनी प्रतिनिधियों और संपत्ति के लिए कोई अलग राशि निर्धारित नहीं की जानी है।

(पैरा 6)

निर्धारित किया गया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी के तहत, ट्रिब्यूनल को मुआवजे की राशि का न्यायाधीश बनाया गया है जिसे उचित माना जाता है, और उचित मुआवजे का निर्धारण करते समय, ट्रिब्यूनल को मृतक और उसके कानूनी प्रतिनिधि संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना होगा । प्रत्येक मामले में मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की प्रकृति और सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, यानी, यदि संपत्ति ऐसी है जिसका लाभ उसके जीवनकाल के दौरान परिवार द्वारा लिया जा रहा था या उपलब्ध था, तो उन संपत्तियों का मूल्य है क्षति के शमन में इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। उन संपत्तियों के त्वरित, उत्तराधिकार से उत्तराधिकारियों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है, जो मृत्यु से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी है। फिर, यदि संपत्ति ऐसी है जो मृतक द्वारा अपनी बचत से परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर उपयोग करने के लिए बनाई जा रही थी, तो वे संपत्ति भी उचित मुआवजे का निर्धारण करते समय विचार से बाहर

रखी जानी चाहिए। । यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी संपत्तियां कानूनी प्रतिनिधियों को उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण कोई अनुचित या असामयिक लाभ प्रदान करती हैं, जिस पर वे निर्भर थे। नुकसान का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए और ऐसी गणना में अनुमान और अंदाजे भी अपनी भूमिका निभाते हैं।

(पैरा 23)

निर्धारित किया गया कि मृतक द्वारा स्वयं बीमा पॉलिसी लेकर किए गए किसी भी प्रावधान को उसकी मृत्यु के कारण कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त लाभ नहीं कहा जा सकता है। बीमा पॉलिसी से लाभ, यदि कोई हो, नामांकित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि को मिलता है, तो पॉलिसी धारक की मृत्यु का कारण बनने वाले गलत कर्ता के कपटपूर्ण कार्य के कारण नहीं, बल्कि मृतक द्वारा किए गए अनुबंध के आधार पर मिलता है। उस बीमाकर्ता के साथ जिसके तहत उसने प्रीमियम का भुगतान किया था। बीमा राशि वास्तव में मृतक की बचत की क्षमता के संबंध में मुआवजे का प्रतिनिधित्व करती है जो दुर्घटना से उसकी मृत्यु के समय मौजूद थी और भविष्य में भी जारी रहेगी। जहां दुर्घटना में मरने वाले मृतक के उत्तराधिकारी के लिए बीमा पॉलिसी में मृतक के नामांकित उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त बीमा राशि के कारण वारिस को देय मुआवजे का निर्धारण करते समय, उस बचत को ध्यान में नहीं रखा जाता है जो उसने अपने जीवन काल के दौरान की होती यदि वह अपना सामान्य जीवन जीता होता, तो मुआवजे से कोई कटौती नहीं की जा सकती है ।

(पैरा 26)

निर्धारित किया गया कि, क्योंकि मृतक से मिलने वाला लाभ, यदि वह दुर्घटना में नहीं मरा होता, तो उसके उत्तराधिकारियों को महीने-दर-महीने मिलता रहता, निर्धारित मुआवजे से 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच की कटौती की जा सकती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राशि का भुगतान एकमुश्त किया गया है। यदि विवेकपूर्ण तरीके से निवेश किया जाए तो दावेदारों द्वारा प्राप्त राशि से कुछ आय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जब देय मुआवजा केवल उस राशि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो मृतक द्वारा उसकी मृत्यु की तारीख पर उनके भरण-पोषण के लिए योगदान किया जा रहा था, संभावित पर विचार किए बिना, तो भविष्य के वर्षों में उस राशि में वृद्धि होने पर, एकमुश्त भुगतान के कारण मुआवजे की राशि से कोई कटौती नहीं की जा सकती है, खासकर जब दावेदार दावा कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कई वर्षों तक बिना ब्याज के मुआवजा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं।

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि

श्री एच. डी. लूम्बा, (सत्र न्यायाधीश) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गुड़गांव के 9 दिसंबर, 1968 के आदेश से पहली अपील, जिसमें दावा आवेदन को खारिज कर दिया गया और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम.एस. जैन, और एम.बी. सिंह, अधिवक्ता, उपस्थित थे।

बीमा कंपनी के लिए वकील एल.एम. सूरी, उत्तरदाताओं के लिए वकील वी.पी. गांधी और आर.एम. सूरी।

निर्णय

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

तुली, नयायाधिपती—(1)) यह निर्णय 1969 के एफ.ए.ओ. 24, एल.पी.ए. का निपटारा कर देगा। 1967 का 303, एल.पी.ए. 1970 का 258, एल.पी.ए. 1970 का 274 और एल.पी.ए. 1970 का 287, क्योंकि इन मामलों में उठने वाले कानून के कुछ प्रश्न सामान्य होने के कारण उन्हें एक साथ सुना गया है।

(2) 1969 के एफएओ 24 के तथ्य यह हैं कि 8 जनवरी 1966 को एक दुर्घटना में मनोहर लाई की मृत्यु हो गई, और उनके कानूनी प्रतिनिधियों, अर्थात् विधवा, विधवा मां और तीन नाबालिग बच्चों ने 1,11,000.00 रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. उक्त मनोहर लाई के जीवन की हानि के लिए 1,00,000.00 रु.;

2. चिकित्सा उपचार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए 1,000.00 रु.; और

3. पीड़ा, उत्पीड़न, दर्द, मानसिक यातना और चिंता के लिए 10,000.00 रु.।

(3) मनोहर लाई स्कूटर पर जा रहे थे तभी ट्रक क्रमांक पीएनजी 5202 ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रक इतनी तेज गति से जा रहा था कि मनोहर लाई की मौके पर ही मौत हो गई और उनका स्कूटर

भी क्षतिग्रस्त हो गया। विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव) (जिसे इसके बाद न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा यह पाया गया कि दुर्घटना उसके चालक द्वारा ट्रक को तेजी से और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। आवेदकों को मनोहर लाई का कानूनी उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन उन्हें इस आधार पर किसी भी मुआवजे से इनकार कर दिया गया कि उन्हें मृतक की मृत्यु पर 90,000.00 रु. रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति प्राप्त हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, आवेदन 9 दिसंबर, 1968 को खारिज कर दिया गया। मृतक की विधवा मां श्रीमती धन्नी बाई की मृत्यु 16 दिसंबर 1968 को हो गई थी और वर्तमान अपील मृतक की विधवा और तीन बच्चों की ओर से है।

(4) संपत्ति का विवरण 80,000 रुपये के मूल्य का एक कारखाना है जो मृतक द्वारा चलाया जा रहा था और उसकी आजीविका का स्रोत था, एक घर जिसकी कीमत 6,000 रु और बीमा राशि 8,000 रु। विद्वान न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक परिवार के भरण-पोषण के लिए 150.00 प्रति माह रुपये का योगदान दे रहा था और, हालांकि उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 37 वर्ष थी, मुआवजे की गणना केवल पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए रुपये की दर से की गई थी। 150.00 रु. प्रति माह यानी कुल मिलाकर 27,000 रु.। अपीलकर्ताओं ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज मुआवजे की मात्रा के साथ-साथ इस निष्कर्ष को भी चुनौती दी है कि अपीलकर्ता मृतक की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होने के कारण कोई मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं थे।

5) निर्धारण के लिए पहला मुद्दा यह है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दावा घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 में निर्धारित अनुसार दायर किया जाना चाहिए, या उस अधिनियम के किसी भी संदर्भ के बिना। यह अधिनियम, जैसा कि प्रस्तावना से पता चलता है, कार्रवाई योग्य गलती के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु से हुई हानि के लिए परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, क्योंकि इससे पहले किसी भी न्यायालय में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई या मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता था, जो अपने गलत कार्य के कारण, उपेक्षा या चूक, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 में संशोधन किया गया और धारा 110-ए से 110-एफ को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1956 के 100 द्वारा जोड़ा गया, ताकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके कानूनी प्रतिनिधियों को संक्षिप्त और सस्ता उपाय प्रदान किया जा सके और किसी मोटर वाहन के साथ दुर्घटना होने पर और ऐसी दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों के दावों पर निर्णय लेने के लिए

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि

भी। ***मोहम्मद हबीबुल्लाह और अन्य बनाम के सीथम्मल***[1] मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने कहा था कि-

"विधानमंडल ने जानबूझकर मोटर वाहन अधिनियम बनाया है, और उस अधिनियम की धारा 110 से 110-एफ के आधार पर, मोटर दुर्घटना के पीड़ितों की ओर से मुआवजे के दावों के निर्णय के लिए केवल एक स्व-निहित कोड नहीं है, बल्कि ऐसे दावों के न्यायनिर्णयन के लिए एक संपूर्ण मशीनरी भी है। धारा 110-एफ के तहत, क्षेत्र के लिए दावा न्यायाधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को विशेष रूप से हटा दिया जाता है। मौजूदा मामले में दावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 से 110-एफ के तहत है। इसका भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम (1855 का XIII) से कोई संबंध नहीं है और यह उस अधिनियम की किसी भी धारा या प्रावधान के तहत उन्नत नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 110 से 110-एफ जिसका हमने उल्लेख किया है, घातक दुर्घटना अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं करता है, और यहां तक कि सबसे अप्रत्यक्ष संदर्भ में भी ऐसे किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं करता है।"

इसी तरह का विचार दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ***श्रीमती ईश्वर देवी मलिक और अन्य बनाम भारत संघ***[2], में निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया था।:-

"अधिनियम (घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855), मुआवज़े या क्षति का प्रावधान करता है-

(1) दुर्घटना के परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु के कारण मृत व्यक्ति के प्रतिनिधियों, अर्थात् पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चे को होने वाली हानि के लिए; और

(2) मृतक की संपत्ति को हुई किसी आर्थिक हानि के लिए।

इस प्रकार यह एक सामान्य कानून है जो किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत व्यक्ति की मृत्यु से हुए नुकसान के लिए उसके प्रतिनिधियों या उसकी संपत्ति को मुआवजे का प्रावधान करता है। दूसरी ओर, मोटर वाहन अधिनियम एक विशेष कानून है। जिसकी धारा 110 से 110-एफ के तहत दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों की मृत्यु या चोट से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय का प्रावधान है। धारा 110 द्वारा, राज्य सरकार को मुआवजे के लिए उपरोक्त दावों पर निर्णय लेने के लिए एक या एक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठित करने का अधिकार है। धारा 110-ए में प्रावधान है कि धारा 110(1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे चोट लगी है; या जहां मृत्यु दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा, या घायल

---

[1] 1966 A.C.J. 349

[2] A.I.R. 1969 Delhi 183

व्यक्ति या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा, जैसा भी मामला हो, और अवधि भी निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत ऐसा आवेदन किया जा सकता है। धारा 110-बी दावे की जांच करने और उक्त न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार देने का प्रावधान करती है। धारा 110-सी में दावा न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। धारा 110-डी अवार्ड से व्यथित व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 110-ई एक अवार्ड के तहत बीमाकर्ता से भू-राजस्व के बकाया के रूप में देय धन की वसूली का प्रावधान करती है। धारा 110-एफ मुआवजे के किसी भी दावे से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार करने के लिए सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है, जिस पर दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य मोटर वाहनों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। वर्तमान धारा 110 से 110-एफ को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 100) की धारा 80 द्वारा पुरानी धारा 110 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य घातक दुर्घटना अधिनियम में प्रावधानित सिविल कोर्ट में मुकदमे के उपचार के बजाय दावा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन का तरीका के माध्यम से एक सस्ता और त्वरित उपाय प्रदान करना था। । इस प्रकार, अधिनियम एक स्व-निहित अधिनियम है, और, इस प्रकार, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दायर एक आवेदन मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, न कि घातक दुर्घटना अधिनियम के प्रावधानों द्वारा। ”

विद्वान न्यायाधीशों ने ऊपर उल्लिखित मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले और ***वीना कुमारी कोहली बनाम पंजाब रोडवेज और अन्य***[3] में इस न्यायालय (महाजन, न्यायाधीश) की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसके खिलाफ एल.पी.ए. 1969 का 303 दायर किया गया था और इस निर्णय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। उस मामले में, न्यायाधीश महाजन ने ***गोबल्ड मोटर सर्विस लिमिटेड बनाम आर.एम.के. वेलुस्वामी***[4] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस प्रकार देखते हुए अलग किया: -

“यह निर्णय तभी लागू होता जब घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा किया गया होता। ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। इसलिए, यह सुझाव देना बेकार है कि ट्रिब्यूनल ने गोबाल्ड मोटर सर्विस केस में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर दावे का निर्धारण नहीं करके गलती की है।“

---

[3] **1967 AC.J. 297.**

[4] **Ai.Ii.R. 1962 S.C. 1.**

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ***श्रीमती कमला देवी एवं अन्य बनाम किशन चंद एवं अन्य***[5] के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। विद्वान न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया (मुख्य टिप्पणी ए के अनुसार) कि-

"मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाली घातक दुर्घटना के संबंध में धारा 110-बी के तहत मुआवजे के दावे की जांच करने वाला दावा न्यायाधिकरण घातक दुर्घटना अधिनियम (1855) में निहित कानून को लागू करने के लिए बाध्य है। धारा 110 से 110-एफ का समूह ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया और शक्तियों को निर्धारित करता है और ये धाराएं दायित्व से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं; वे केवल मृत्यु या शारीरिक चोट से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में दायित्व लागू करने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं, जिसे ट्रिब्यूनल के गठन से पहले, सिविल न्यायालयों द्वारा लागू किया जा रहा था। इन धाराओं का उद्देश्य मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली देनदारी को लागू करने का एक सस्ता और त्वरित तरीका प्रदान करना है। धारा 110-बी के तहत 'मुआवजे की राशि का निर्धारण, जो उचित प्रतीत होता है' का पुरस्कार देने की शक्ति ट्रिब्यूनल को प्रदान की गई है, जो दायित्व का कोई नया आधार या सीमा नहीं बनाती है। ट्रिब्यूनल को पहले से लागू दायित्व के मूल कानून के अनुसार मुआवजे की राशि निर्धारित करनी चाहिए। धारा 110-बी का उद्देश्य किसी भी तरह से मूल कानून द्वारा निर्धारित दायित्व के आधार और सीमा को नजरअंदाज करना नहीं है। घातक दुर्घटनाओं के मामले में, चाहे मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न हो या अन्यथा, दायित्व का आधार और सीमा घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1-ए और 2 में निहित मूल कानून द्वारा निर्धारित की जाती है।"

(6) हमने इन निर्णयों को ध्यान से पढ़ा है और तर्कों पर ध्यान दिया है और हमारी राय है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी उन दावों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है जिनके लिए घातक दुर्घटना अधिनियम धारा 1-ए और 2 में प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 1-ए में, केवल चार व्यक्तियों, अर्थात् पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चे का उल्लेख किया गया है, जिनके लाभ के लिए दावा किया जा सकता है और इससे होने वाले नुकसान के अनुपात में नुकसान की अनुमति दी जानी है। उक्त लाभार्थियों की मृत्यु। यह दावा अनुभाग में उल्लिखित लाभार्थियों में से एक या अधिक के लाभ के लिए मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि के नाम पर लाया जाना चाहिए। उस अधिनियम की धारा 2 के तहत, मृतक के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि को इस तरह के गलत कार्य, उपेक्षा या डिफ़ॉल्ट के कारण मृतक की संपत्ति को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि के लिए दावा करने और उसकी वसूली करने की भी अनुमति है,

[5] A.I.R 1970 M.P 168

जिसकी वसूली होने पर वह राशि प्राप्त हो जाती है। धारा 2 में यह भी प्रावधान है कि शिकायत की एक ही विषय-वस्तु के संबंध में एक से अधिक कार्रवाई या मुकदमा नहीं लाया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1-ए और 2 के तहत, धारा 1-ए में उल्लिखित लाभार्थियों में से एक या अधिक के लाभ के लिए मृतक के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि द्वारा कार्रवाई की जानी है। दूसरी ओर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए यह निर्धारित करती है कि जहां किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, उस दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए सभी को आवेदन करना होगा। या मृतक का कोई कानूनी प्रतिनिधि और जहां मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के लिए ऐसे किसी आवेदन में शामिल नहीं होते हैं, तो आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाना चाहिए और जो कानूनी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें आवेदन में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों के लिए और उनकी ओर से है, यानी कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई संपत्ति की ओर से। हालाँकि, मुआवज़ा धारा 110-बी के तहत प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि के लिए निर्धारित किया जाना है। दिए जाने वाले मुआवज़े की राशि न केवल प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि को होने वाले नुकसान तक सीमित है, बल्कि ऐसी राशि जो ट्रिब्यूनल को उचित प्रतीत होती है। ट्रिब्यूनल को उस व्यक्ति या व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट करना है जिन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी की भाषा स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुआवजे को पहले उदाहरण में निर्धारित किया जाना चाहिए और मुआवजे को कानूनी प्रतिनिधियों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए अर्थात, प्रत्येक दावेदार की निर्भरता या आवश्यकता के अनुसार जैसा कि ट्रिब्यूनल निर्धारित कर सकता है। इसलिए, हमारे विचार में, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान घातक दुर्घटना अधिनियम की तुलना में व्यापक हैं और वास्तव में दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। मुआवजे के निर्धारण के लिए जो सिद्धांत घातक दुर्घटना अधिनियम के प्रावधानों के तहत विकसित किए गए हैं, उन्हें उचित मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवेदनों पर लागू किया जा सकता है। हालाँकि, घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1-ए का प्रतिबंधात्मक प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावे पर लागू नहीं होता है। ट्रिब्यूनल के समक्ष, मृतक की पूरी संपत्ति का प्रतिनिधित्व उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और मुआवजा संपत्ति को हुए नुकसान के आधार पर निर्धारित किया जाना है जिसे कानूनी प्रतिनिधियों के बीच वितरित किया जाना है। कानूनी प्रतिनिधियों और संपत्ति के लिए कोई अलग राशि निर्धारित नहीं की जानी है।

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि

(7) घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख निर्णय ***गोबाल्ड मोटर सर्विस लिमिटेड और अन्य बनाम आर.एम.के. वेलुस्वामी और अन्य (4) (सुप्रा)*** है। वह निर्णय घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत 1951 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधन से पहले दिया गया था, क्योंकि उस मामले में दुर्घटना 20 सितंबर, 1947 को हुई थी। प्राप्त चोटों के परिणामस्वरूप 23 सितंबर, 1947 को राजरत्नम की मृत्यु हो गई। एक दुर्घटना में उनके पिता, विधवा और बेटों द्वारा घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1 के तहत व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आर्थिक लाभ के नुकसान के लिए और राजरत्नम की मृत्यु के कारण संपत्ति को हुए नुकसान के लिए धारा 2 के तहत मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया गया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मृतक के पिता को अधिनियम की धारा 1 के तहत 3600.00 रु. की अनुमति दी। उनकी विधवा और बेटों को 25,200 रुपये और अधिनियम की धारा 2 के तहत उनकी विधवा और बेटों को 5,000 रु. की अनुमति दी। अपील पर, उच्च न्यायालय ने घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1 और 2 के तहत विधवा और बेटों दोनों को दिए गए मुआवजे की राशि की पुष्टि की, लेकिन पिता के संबंध में, मुआवजे की राशि 3,600 रु से 1,000 रुपये से कम कर दी गई। उनके आधिपत्य ने उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी। उनके आधिपत्य ने ***डेनिस बनाम पॉवेल डफ्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड***[6] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले और ***नैन्स बनाम ब्रिटिश कोलंबिया इलेक्ट्रिक राय कंपनी लिमिटेड,***[7] में प्रिवी काउंसिल के फैसले का हवाला दिया। और देखा गया-

"अनुमान के उक्त तरीके से यह देखा जाएगा कि गणना में कई असंभव चीजें शामिल हो जाती हैं। इसलिए, उत्तरदाताओं को होने वाली आर्थिक हानि की वास्तविक सीमा डेटा पर निर्भर हो सकती है जिसे सटीक रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक रूप से एक अनुमान होना चाहिए, या आंशिक रूप से एक अनुमान भी होना चाहिए। संक्षेप में कहा गया है, सामान्य सिद्धांत यह है कि आर्थिक हानि का आकलन केवल एक तरफ भविष्य के आर्थिक लाभ के दावेदारों को होने वाले नुकसान और दूसरी तरफ मृत्यु के कारण किसी भी स्रोत से मिलने वाले किसी भी आर्थिक लाभ को संतुलित करके किया जा सकता है। अर्थात्, मृत्यु से आश्रित को होने वाली हानि और लाभ का संतुलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अपने नुकसान की सीमा को स्थापित करने का बोझ निश्चित रूप से वादी पर है।"

इसके बाद न्यायाधीशों ने घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1 और धारा 2 के तहत दावों के संबंधित दायरे को निम्नानुसार बताया: -

---

[6] 1942 A.C. 601.

[7] 1951. A.C. 601.

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि

"धारा 1 के तहत कार्रवाई का कारण और धारा 2 के तहत कार्रवाई का कारण अलग-अलग है। जबकि धारा 1 के तहत, नुकसान उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के लाभ के लिए वसूल किया जा सकता है, धारा 2 के तहत मुआवजा संपत्ति के लाभ के लिए जाता है; जबकि धारा 1 के तहत उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को हुए नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति देय है, धारा 2 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ जीवन की उम्मीद की हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। हालाँकि कुछ मामलों में जो पक्ष दोनों धाराओं के तहत मुआवजे के हकदार हैं, वे एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे ऐसे ही हों; धारा I के तहत लाभ पाने के हकदार व्यक्ति धारा 2 के तहत दावा करने वालों से भिन्न हो सकते हैं। प्रथम दृष्टया चूंकि दोनों दावे कार्रवाई के अलग-अलग कारणों पर आधारित हैं, दावेदार, चाहे समान हों या अलग, अलग से मुआवजा वसूलने के हकदार होंगे। लेकिन एक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है जहां दोनों शीर्षों के तहत मुआवजे का दावा करने वाला पक्ष एक ही है और दोनों शीर्षों के तहत दावे किसी विशेष उप-शीर्ष के संबंध में या संपूर्ण शीर्ष के संबंध में सिंक्रनाइज़ होते हैं। उस स्थिति में, सवाल यह है कि क्या कोई पार्टी एक ही गलती के संबंध में दो बार हर्जाना वसूलने की हकदार होगी।"

(पैरा 11)

विषय की इस शाखा पर कानून संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है:

"अधिनियम की धारा 1 और 2 के तहत कार्रवाई के अधिकार काफी अलग और स्वतंत्र हैं। यदि दोनों धाराओं के तहत लाभ लेने वाला व्यक्ति एक ही है, तो उसे एक ही नुकसान के लिए दो बार वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दोनों व्यक्तियों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करने में, नहीं होगा उसी दावे का प्रतिरूपण हो, अर्थात, यदि संपत्ति के नुकसान का प्रतिनिधित्व करने वाले मुआवजे का कोई भी हिस्सा अधिनियम की धारा 1 के तहत व्यक्तिगत नुकसान की गणना में जाता है, तो उस हिस्से को धारा 2 (पैरा) के तहत मुआवजा देने से बाहर रखा जाएगा ।"

(पैरा 12)

इन सिद्धांतों के आलोक में प्रत्येक मामले में दावेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित की जानी है। वास्तव में, मुआवजे की राशि न्यायाधिकरण द्वारा न्याय के आधार पर निर्धारित की जानी है और इसलिए, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना है।

(8) मौजूदा मामले में सबसे पहले यह निर्धारित किया जाना है कि मनोहर लाई के कानूनी प्रतिनिधियों को कितनी आर्थिक हानि हुई। इस बिंदु पर रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य इस प्रकार हैं: -

(9) पीडब्लू 4 कृष्ण प्रकाश ने कहा कि मनोहर लाई उस फैक्ट्री के एकमात्र मालिक थे जो मनोहर लाई एंड संस के नाम से चल रही थी। वह फ़ैक्टरी मोटरों में इस्तेमाल होने वाले रबर घटकों का निर्माण करती थी और वहाँ तीन कर्मचारी कार्यरत थे। मनोहर लाई ने स्वयं भी उस कारखाने में काम किया और. व्यवसाय से प्रति वर्ष लगभग 7,000.00 रु. कमाए। इस गवाह की शादी मनोहर लाई की बहन से हुई है और वह कंपनी का हिसाब-किताब रखता था। उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई मूल खाता-बही प्रस्तुत की और वर्ष 1964-65 और 1965-66 के खातों की प्रतियां पी. 2 और पी. 3 के रूप में प्रदर्शित की गईं। गवाह के अनुसार, पूरी संपत्ति फैक्ट्री 30,000 रुपये के मूल्य की थी, जबकि कारखाने की साइट और इमारत की कीमत रु 50,000.00 । मनोहर लाई के पास करीब 6,000.00 रुपए का मकान भी है जिसमें परिवार रहता था। उसका बीमा भी कराया गया था, लेकिन बीमा की रकम गवाह को नहीं पता थी।

(10) पी.डब्लू. 5 देव नाथ मनोहर लाई की विधवा का भाई है। उनके अनुसार, मनोहर लाई प्रति माह लगभग 500 रु. या 600 रु कमाते थे और 8000 रु रुपये का बीमा कराया गया।

(11) पी. डब्ल्यू. 7 मनोहर लाई की विधवा श्रीमती दमयंती देवी हैं, जो स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित हुईं और कहा कि मनोहर लाई की मृत्यु 37 वर्ष की आयु में हुई और वे उनकी मृत्यु के समय 700 रुपये प्रति माह कमाते थे। वह उस फैक्ट्री का मालिक था जहां वह खुद भी काम करता था। उनकी मौत के बाद फैक्ट्री बंद हो गई थी। मृतक अपने पीछे तीन नाबालिग बच्चे छोड़ गया जो स्कूल जाते थे, सबसे बड़ी लगभग 14 वर्ष की बेटी थी। जिरह में उसने बताया कि मृतक लगभग 300 रु या 400 रु प्रति माह स्वयं पर खर्च करता था और शेष राशि वह उसे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए देता था।

(12) गवाहों के इन बयानों को जिरह द्वारा चुनौती नहीं दी गई और उत्तरदाताओं की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

(13) एग्जिबिट पी. 2, वर्ष 1964-65 की बैलेंस-शीट से पता चलता है कि मृतक ने उस वर्ष 3,881.75 रु का शुद्ध लाभ कमाया और फर्म में उनकी अपनी पूंजी रु. 13,474.98 थी, जबकि

रु. 5,400.16 उसके द्वारा दूसरों को देय राशि को दर्शाता है। बैलेंस-शीट में यह उल्लेख किया गया है "मनोहर लाई का घर खाता- रु। 3000.87" यानी कि उन्होंने यह रकम अपने घर के खर्च के लिए निकाली थी।

(14) वर्ष 1965-66 की बैलेंस-शीट से पता चलता है कि मनोहर लाल ने 7,150.75 रुपये का शुद्ध लाभ कमाया और उनकी पूंजी रु. 14,355.86, दूसरों को देय राशि रु. 5,578.92 और उसने अपने घरेलू खर्च के लिए 3,681.28 रुपये निकाल लिए। 1965-66 के दौरान मनोहर लाई ने 6,120 रु. अपने कर्मचारियों के वेतन के कारण उन्हें दिए।

(15) इस साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मनोहर लाई ने वर्ष 1964 के दौरान प्रति माह 250 रु. घरेलू खर्च के लिए वह अपनी पत्नी को देते थे, जबकि 1965-66 में वह उस उद्देश्य के लिए उसे प्रति माह 300 रुपये से कुछ अधिक का भुगतान करते थे और लाभ की शेष राशि वह व्यवसाय में वापस लगा देता था। इसीलिए श्रीमती दमयंती देवी ने कहा कि वह प्रति माह लगभग 300 से 400 रुपये खुद खर्च करता था और बाकी रकम वह उसे देता था। परिवार में तीन वयस्क और तीन बच्चे शामिल थे जिनका भरण-पोषण रुपये पर किया जा रहा था। यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि 300 प्रति माह, इस राशि में से मृतक पर करीब 75 प्रति माह रुपये का खर्च आता था, जबकि शेष राशि 225 रु. परिवार के अन्य सदस्यों के भरण-पोषण पर खर्च किए जा रहे थे, जो उनकी मृत्यु के बाद मुआवजे का दावा करने के लिए पीछे रह गए थे। जैसे-जैसे उनका व्यवसाय विकसित हो रहा था, मनोहर लाई ने बाद के वर्षों में अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अधिक राशि का योगदान दिया होगा। उनका व्यवसाय फल-फूल रहा था, यह बैलेंस शीट और इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने फैक्ट्री शुरू करने के दूसरे वर्ष में एक स्कूटर खरीदा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारखाना वर्ष 1964-65 में प्रारम्भ किया गया था। मृतक की उम्र केवल 37 वर्ष थी और उसका स्वास्थ्य अच्छा था जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह सामान्य जीवन जी रहा होगा। सरकार द्वारा एकत्र किए गए आँकड़ों के अनुसार, पंचवर्षीय 1965-70 में एक पुरुष का औसत जीवन लगभग 60 वर्ष था, जबकि अगले पंचवर्षीय में यह बढ़कर 63 वर्ष होने की उम्मीद है। भले ही यह मान लिया जाए कि मृतक 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहा होगा, अपीलकर्ता 23 वर्ष के उसके योगदान के आधार पर मुआवजे के हकदार हैं। उस आधार पर गणना करने पर, अपीलकर्ताओं को देय मुआवजा 225 रु प्रति माह की दर से 23 वर्षों तक 62,100 रु.। मनोहर लाल की मृत्यु पर देय मुआवज़ा निर्धारित करने का एक और तरीका है, यानी उनकी कमाई की क्षमता का नुकसान। इसका प्रमाण यह है कि वह अपनी फैक्ट्री में काम की देखरेख करने के अलावा स्वयं काम भी

करता था और यदि उसकी मृत्यु के बाद फैक्ट्री चलती रहती तो उसके स्थान पर व्यवसाय चलाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना आवश्यक होता। यह भी कहा गया है कि कारखाने में तीन अन्य कर्मचारी कार्यरत थे और उनका वार्षिक वेतन 6,120.00 रु, यानी औसतन प्रत्येक कर्मचारी को लगभग रु. 2,040.00 प्रति वर्ष और 300.00 या अधिक रुपये के मासिक वेतन को छोड़कर कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। उस दृष्टिकोण से भी, 225.00 रुपये प्रति माह की दर से मुआवजा दिया जाना

(16) उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि ऊपर निर्धारित मुआवजे के विपरीत, अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त संपत्ति का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। हालाँकि, हम इस मामले के तथ्यों पर इस दलील से सहमत नहीं हैं। 6,000.00 रुपये मूल्य के इस घर का उपयोग मनोहर लाई के जीवनकाल के दौरान परिवार के निवास के लिए किया जा रहा था और अभी भी उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसलिए, उस घर के उपयोगकर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही उसकी मृत्यु के बाद यह परिवार के लिए आय का स्रोत बन गया है। 'मनोहर लाई द्वारा परिवार के लिए किया गया योगदान आवासीय घर के प्रावधान के अतिरिक्त था। जहां तक फैक्ट्री की बात है तो उनकी मृत्यु के बाद यह फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फैक्ट्री स्थल और इमारत मनोहर लाई के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति थी जिसका उपयोग उनके व्यवसाय के लिए किया जा रहा था। यह संपत्ति उनके जीवनकाल के दौरान भी परिवार के लिए उपलब्ध थी और अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके उत्तराधिकारियों के रूप में अपीलकर्ताओं के स्वामित्व में आ गई है। गोबैद मोटर सर्विस वेस (4) (सुप्रा) में, मृतक राजरत्नम के परिवार के पास पलनी में लगभग 2,00,000.00 रु. की इमारत थी और रु1,000.00 प्रति एकड़ के मूल्य की 120 एकड़ नन्जा भूमि। यह परिवार औषधियों से भारतीय पेटेंट दवाओं के निर्माण में लगा हुआ था और तीस वर्षों की अवधि से पलनी में सिद्ध वैद्यसलाई चला रहा था और इसकी कोलंबो और मद्रास में भी शाखाएँ थीं। राजरत्नम ने दो साल तक इंडियन स्कूल ऑफ मेडिसिन में अध्ययन किया और उसके बाद 1940 में खुद को एक चिकित्सक के रूप में पंजीकृत कराकर एक डॉक्टर के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने पलनी में परिवार वैद्यसलाई का प्रबंधन संभाला और व्यवसाय से होने वाली आय के अलावा वह अपनी निजी प्रैक्टिस से प्रति माह 200.00 रु. से 250.00 रु. कमाते थे। उनकी विधवा और बेटों को व्यवसाय सहित विरासत में मिली संपत्ति के कारण दी गई राशि में कोई कटौती नहीं की गई और मुआवजा ***मेसर्स शेखूपुरा ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड बनाम नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसपोर्टर्स इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य***[8] , में उनकी निजी प्रैक्टिस से हुई आय के नुकसान के

[8] AIR 1971 S.C. 1624.

आधार पर निर्धारित किया गया था। न्यायाधीशों ने रिपोर्ट के पैरा 2 में बचन सिंह के मामले पर विचार किया। जब दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई तब वह 42 वर्ष के थे। उनकी वार्षिक आय लगभग 9,000.00 रु थी जिसमें से अचल संपत्ति से उनकी आय 2,000.00 रु. थी। वह आय उनकी पत्नी और बच्चों के लाभ के लिए अर्जित होती रही और इसलिए, अचल संपत्ति से होने वाली आय के अलावा केवल उस आय पर विचार किया गया जो बचन सिंह अपने अनुबंध व्यवसाय से कमा रहे थे। बचन सिंह द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्ति के कारण कोई कटौती नहीं की गई, जो उनकी असामयिक मृत्यु के बाद उनकी विधवा और बच्चों को विरासत में मिली थी। समान कारणों से, हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि साइट और भवन सहित कारखाने का मूल्य अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे से काटा जाना चाहिए। हालाँकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने अपनी बात के समर्थन में कुछ निश्चित मामलों पर भरोसा किया है और यह भी प्रस्तुत किया है कि किसी भी मामले में, उत्तराधिकार में तेजी लाने के कारण कुछ राशि की कटौती की जानी चाहिए। उन मामलों का निर्णय घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत अपने स्वयं के तथ्यों पर किया गया था और इसे हर मामले में मिसाल के रूप में नहीं लिया जा सकता है, खासकर जब मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी के तहत, ट्रिब्यूनल को मुआवजा निर्धारित करना है जो उसे उचित लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ निर्णयित मामलों में उत्तराधिकार में तेजी के कारण कटौती की गई थी, लेकिन उस संबंध में कोई समान नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह उत्तराधिकार की प्रकृति और कानूनी प्रतिनिधियों को उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद मिलने वाले असामयिक लाभ के अनुसार प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, जबकि न्यायोचित निर्धारण के लिए लाभ और हानि को संतुलित करते हुए मुआवज़ा जिसके कानूनी प्रतिनिधि मुख्य रूप से मृतक पर उनकी निर्भरता के कारण हकदार हैं। इस संबंध में निम्नलिखित मामले हमारे संज्ञान में लाए गए हैं:-

1. ***पब्लिक ट्रस्टी (डब्ल्यू.ए.) बनाम निकिसन***[9], ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया, जिसमें दावेदार सात साल का बेटा था, जिसके माता-पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के समय पिता की आयु 40 वर्ष थी और वे उज्ज्वल संभावनाओं के साथ प्रति वर्ष लगभग £1600 कमा रहे थे। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने पिता की मृत्यु के कारण बेटे को इस आधार पर कोई हर्जाना नहीं दिया कि उसने £ 2,750 की संपत्ति छोड़ दी थी जो कि पूरी तरह से बेटे को विरासत में मिली थी और नुकसान की राशि बेटे को दी गई थी। उस संपत्ति के मूल्य से कम था। अपील में, यह माना गया कि निचली अदालत ने बेटे को अपने पिता से मिलने वाले अंतिम

[9] 1966 A.C.J. 194

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि

लाभ के औसत वार्षिक मूल्य को कम करके आंका। क्षति का उचित मूल्यांकन £5000 से कम नहीं माना गया। £2,750 की संपत्ति के संबंध में, यह देखा गया:-

"इसलिए, मैं सम्मानपूर्वक सोचता हूं कि वर्तमान मामले में उनके ऑनर को पूरे £2,750 को ग्रेगरी को उसके पिता की मृत्यु के परिणामस्वरूप हुए लाभ के रूप में नहीं मानना चाहिए था। मामले के इस पहलू पर उचित छूट देने की पूरी कोशिश करते हुए, मुझे लगता है कि अन्यथा स्वीकार्य क्षति से £1,000 से अधिक की कटौती नहीं की जानी चाहिए।"

बेटे को अपनी मां की मृत्यु के कारण हर्जाने के रूप में £1,500 की अनुमति दी गई थी। अपीलीय अदालत ने अपने पिता की मृत्यु के परिणामस्वरूप बेटे को हुई क्षति के कारण उस राशि को £4,000 तक बढ़ा दिया। न्यायाधीश मेन्ज़ीज़ द्वारा यह देखा गया, जिन्होंने अन्य दो न्यायाधीशों द्वारा £1,000 के बजाय केवल £500 की कटौती का प्रस्ताव रखा था कि-

"£4,000 के आंकड़े पर पहुंचने के लिए, जिसे मैं उचित पुरस्कार मानता हूं, मैंने सात साल की उम्र में ग्रेगरी की विरासत के कारण उसके पिता की पूरी संपत्ति £2,700 में से 500 पाउंड की कटौती की है। यदि पिता की मृत्यु उस समय नहीं हुई होती, तो ग्रेगरी को उनकी पूरी संपत्ति कभी विरासत में नहीं मिलती और, इसके अलावा, यह भी संभव है कि किसी भी विरासत के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। लगभग £2,700 की संपत्ति प्रति सप्ताह लगभग £3 का उत्पादन करेगी; पूंजी को बरकरार रखना, और यह पर्याप्त महत्व का है, यहां तक कि ग्रेगरी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी जब उनके पिता जीवित थे, बाद में और अधिक प्राप्त करने के लिए, यदि कोई विरासत नहीं होती तो उचित पुरस्कार से कुछ कटौती की गारंटी दी जा सकती थी।"

(17) 2. ***बॉल बनाम क्राफ्ट***[10] , ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल/न्यायाधीश द्वारा तय किया गया मामला है। उस मामले में, दावेदार विधवा और 13 और 16 साल के दो बेटे थे। विधवा ने अपने पति की मृत्यु के 19 महीने बाद दोबारा शादी की। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया होता, तो वह उसे 30,000 डॉलर, 13 साल के बेटे को 6,000 डॉलर और 16 साल के बेटे को 4,000 डॉलर का पुरस्कार देता, लेकिन उसके पुनर्विवाह के कारण पुरस्कार की राशि क्रमशः 1500 डॉलर, 2000 और 1500 डॉलर थी।

[10] 1967 A.C.J. 235.

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि
अपने पति की मृत्यु के बाद 19 महीने तक अविवाहित रहने की अवधि के दौरान विधवा की हानि का आकलन $3,500 किया गया था, जिसमें से $2000 की राशि काट ली गई थी, जो उसे अपने पति की मृत्यु पर अचल संपत्ति के हिस्से से प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार, बच्चों के मामले में उनकी मां के पुनर्विवाह को भी ध्यान में रखा गया। जाहिर है, इस मामले की वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है और विधवा के पुनर्विवाह के कारण उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्णय लिया गया था।

(18) 3. ***डेनियल बनाम जोन्स[11],*** उस मामले में, एक मोटर दुर्घटना में अपने पति की मृत्यु के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए विधवा ने अपनी और अपने बच्चों की ओर से मुकदमा दायर किया था। यह पाया गया कि दुर्घटना से पहले के तीन वर्षों में मृतक की शुद्ध कमाई £3,400, £2,900 और £3,750 थी। इसलिए, उनकी वार्षिक औसत कमाई शुद्ध £3,300 मानी गई। यह भी अनुमान लगाया गया था कि उनकी आय में हर साल शुद्ध रूप से £200 की वृद्धि हुई होगी। मृत्यु के समय मृतक की आयु 52 वर्ष थी और क्षति की गणना 13 वर्ष की आय के आधार पर की गई थी। 13 साल की क्षति का मौजूदा मूल्य (एकमुश्त भुगतान के कारण £33,000 निर्धारित किया गया था। मृतक ने संपत्ति छोड़ी थी जिसका मूल्य £30,750 था, जिसमें से £10,000 की राशि काट ली गई थी। मृत्यु शुल्क के कारण। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पाया कि विधवा को पति की संपत्ति में प्रत्याशा थी, जिसका मूल्य 124 प्रतिशत, यानी £2,650 था। £20,750 की राशि से इस राशि को काटने के बाद, विधवा द्वारा प्राप्त अगला लाभ निर्धारित किया गया था £1,200 के रूप में और यह राशि £33,000 में से काट ली गई थी, जिसे विधवा और उसके बच्चों को देय क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए £90 के अलावा वादी पक्ष के लिए £14,800 की राशि का निर्णय दिया गया। विधवा अपील न्यायालय में अपील की गई जिसे खारिज कर दिया गया।

(19) 4. ***इऑक्सले और अन्य बनाम ओल्टन[12] ,*** दावेदार को लगी व्यक्तिगत चोटों का मामला है और यह माना गया कि बेरोजगारी लाभ, जिसके लिए वादी हकदार था - बेरोजगारी के कारण हुई बेरोजगारी के कारण प्रतिवादी के गलत कृत्य को वादी के नुकसान को कम करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए और उस क्षति से कटौती की जानी चाहिए जो अन्यथा प्रदान की जाएगी लेकिन

[11] (1961) 3 AU. E.R. 24.
[12] (1964) 3 A.U. E.R. 248.

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि
राष्ट्रीय सहायता अनुदान इतने कटौती योग्य नहीं थे। यह मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

(20) 5. ***व्हिटोम बनाम कोट्स***[13] । उस मामले में, दावा उस विधवा द्वारा किया गया था जिसके पति की 58 वर्ष की आयु में प्रतिवादी के लापरवाह कृत्य से मृत्यु हो गई थी। उनकी विधवा ही उनकी एकमात्र आश्रित थीं और उनका स्वास्थ्य अच्छा था। उसके जीवन की अपेक्षा 12 वर्ष मानी गई। मृतक ने £386 नकद छोड़ा था और यह दलील दी गई थी कि उस राशि का लाभ वादी को मिलेगा। यदि मृतक 65 वर्ष की आयु तक जीवित रहा होता तो वे राशियाँ देय होतीं। ट्रायल कोर्ट ने विधवा को £5,250 का अवार्ड दिया था, जिसमें से अपील न्यायालय ने मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की संपत्ति के कारण £386 की राशि सहित £1,000 की कटौती की थी।

(21) 6. ***बीर सिंह एवं अन्य बनाम श्रीमती हाशी राशी बनर्जी और अन्य***[14] । रिपोर्ट के पैरा 26 में, निम्नलिखित अवलोकन प्रकट होता है: -

"अदालत को दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु के आधार पर दावेदारों को होने वाले लाभ और होने वाले नुकसान पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि क्षति का दावा करने वाला व्यक्ति किसी दुर्घटना में मारे गए अपने रिश्तेदार की मृत्यु के कारण बड़ी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लेता है, तो कोई नुकसान नहीं होता है। इस घटना से दावेदार को वास्तव में लाभ हुआ है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण संपत्ति पर कब्जा हो जाता है, तो उस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ***'ब्रैडबम बनाम ग्रेट वेस्टर्न राय कंपनी***[15] ।

फैसले से यह नहीं पता चलता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष मामले में ऐसा कोई प्रश्न उठा था और उपरोक्त टिप्पणी, इसलिए, केवल एक आज्ञाकारी आदेश है।"

(22) 7. ***अमरजीत कौर और अन्य बनाम वैनगार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य***[16] , दिल्ली उच्च न्यायालय के नयायाधिपती देशपांडे का निर्णय है। उस मामले में, मृतक ने रुपये का ब्याज छोड़ा था। एक औद्योगिक भूखंड की खरीद में 5,000.00 रु, जो दावेदारों को मृतक के

[13] (1965) 3 AU. E.R. 268.
[14] A.I.R. 1956 Cal. 555.
[15] (1874) 10 Ex. 1(D).
[16] 1969 A.C.J.286.

श्रीमती सीता देवी आदि

उत्तराधिकारी के रूप में विरासत में मिला था। उत्तराधिकार में तेजी लाने के कारण दावेदारों को देय मुआवजे में से एक तिहाई राशि काट ली गई। इसी तरह, जिस चिटफंड का मृतक सदस्य था, उसमें से 1,000.00 रुपये उसकी विधवा को मिले थे और उस राशि का एक तिहाई हिस्सा भी काट लिया गया।

(23) मैंने उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और मेरी राय है कि प्रत्येक मामले में मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की प्रकृति और सीमा निर्धारित की जानी है, अर्थात यदि संपत्ति ऐसी है जिसका लाभ उसके जीवनकाल के दौरान परिवार द्वारा लिया जा रहा था या उपलब्ध था, उन संपत्तियों के मूल्य को नुकसान के शमन में ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। उन संपत्तियों के त्वरित उत्तराधिकार से उत्तराधिकारियों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है, जो मृत्यु से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी है। फिर, यदि संपत्ति ऐसी है जो मृतक द्वारा अपनी बचत से परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर उपयोग करने के लिए बनाई जा रही थी, तो उचित मुआवजे का निर्धारण करते समय उन संपत्तियों को भी बाहर रखा जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी परिसंपत्तियां कानूनी प्रतिनिधियों को उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण कोई अनुचित या असामयिक लाभ प्रदान करती हैं, जिस पर वे निर्भर थे। हर मामले में इस बात पर जोर दिया गया है कि नुकसान का निर्धारण उस मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए और ऐसी गणनाओं में अनुमान और अंदाजे भी अपनी भूमिका निभाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी के तहत, ट्रिब्यूनल को मुआवजे की राशि का न्यायाधीश बनाया गया है जिसे उचित माना जाता है, और न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करते समय, ट्रिब्यूनल को मृतक से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों और उसके कानूनी प्रतिनिधि को ध्यान में रखना होता है। वर्तमान मामले में, श्रीमती दमयंती देवी ने मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन पी.डब्ल्यू. 4 (कृष्ण प्रकाश) ने कहा कि मनोहर लाल के पास साइट और उसकी इमारत के अलावा, जिनकी कीमत लगभग 50,000.00 रु. है, लगभग 30,000.00रु. की एक फैक्ट्री थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया कि जमीन और इमारत पूरी तरह से मनोहर लाल की है। रिकॉर्ड पर प्रस्तुत खातों से पता चलता है कि कारखाने की संपत्ति के पक्ष में, साइट और इमारत का मूल्य शामिल नहीं किया गया है, जिससे मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि कारखाने की साइट और इमारत परिवार की थी। मैं कृष्ण प्रकाश पी.डब्ल्यू के बयान से इस निष्कर्ष पर दृढ़ हूँ कि मनोहर लाल 'मनोहर लाल एंड संस' के नाम से व्यवसाय चलाते थे, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि व्यवसाय संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय था या होने का इरादा था। उत्तरदाताओं को यह साबित करना था कि मृतक द्वारा किया गया व्यवसाय उसका मालिकाना व्यवसाय था जिसमें परिवार की

कोई रुचि नहीं थी। उस मुद्दे पर कोई सबूत नहीं दिया गया है, यह निष्कर्ष निकालना वैध है कि मनोहर लाल मृतक द्वारा जो व्यवसाय चलाया जा रहा था वह संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय था। इसी तरह की परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने ***गोबल्ड मोटर सर्विस केस (4), (सुप्रा)*** में राजरत्नम के व्यवसाय की संपत्ति के कारण कोई राशि नहीं काटी और मुआवजा: उसकी कमाई की क्षमता के नुकसान के आधार पर निर्धारित किया गया था। उस निर्णय का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, मेरा मानना है कि साइट और भवन सहित कारखाने की संपत्ति के कारण अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे से कोई राशि नहीं काटी जा सकती है।

(24) अपीलकर्ता की ओर से एक और तर्क दिया गया कि मृतक की जीवन प्रत्याशा के कारण हुए नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति संपत्ति को दी जानी चाहिए जैसा कि ***गैबल्ड मोटर सर्विस मामले (4) (सुप्रा)***, ***अब्दुलकादर इब्राहिम सूरा और एक अन्य बनाम काशीनाथ मोरेश्वर चंदानी और अन्य***[17] , और ***टी. वी. ज्ञानवेलु और एक अन्य बनाम डी. पी. खन्नाय्या और अन्य***[18] में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष मामले घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत थे, जिसके अनुसार धारा 1-ए में उल्लिखित आश्रित कानूनी प्रतिनिधियों और उस अधिनियम की धारा 2 के तहत संपत्ति द्वारा अलग-अलग नुकसान का दावा किया जाना चाहिए। वे निर्णय हैं, इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी के तहत मुआवजा निर्धारित करना प्रासंगिक नहीं है। हालाँकि, मद्रास मामला मोटर वाहन अधिनियम के तहत था। उस मामले में, डोरियास्वामी पिल्लई की 30 नवंबर, 1961 को 60 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दावेदार उस पर निर्भर नहीं थे और विद्वान न्यायाधीश द्वारा उस पुरस्कार को बरकरार रखा गया की राशि। जीवन प्रत्याशा की हानि के लिए 4,000.00 रुपये का अवार्ड दिया गया। मुआवजे की राशि संपत्ति को दी गई क्योंकि उस पर कोई आश्रित नहीं था और उस राशि को कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बांट दिया गया था। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी के अनुसार, संपत्ति को होने वाले नुकसान का निर्धारण किया जाना चाहिए और फिर उस संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी प्रतिनिधियों के बीच उस लाभ के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए जो वे मृतक से प्राप्त कर रहे थे या प्राप्त करते यदि उसकी मृत्यु न हुई हो। बंटवारे के समय, प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि की मृतक पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामले में जहां निर्भरता बहुत बड़ी सीमा तक है और मुआवजा काफी लंबी संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना है, यदि संपत्ति को कोई अलग नुकसान की अनुमति दी जाती है तो यह

[17] A.I.R. 11968 Bom. 2267
[18] A.I.R. 1969 Mad. 180.

नुकसान का दोहराव होगा। इसलिए, मेरा मानना है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं को मनोहर लाल की जीवन प्रत्याशा की हानि के लिए मुआवजे के रूप में कोई राशि देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यह भी मानना है कि श्रीमती दमयंती देवी को बीमा की जो राशि प्राप्त हुई वह निष्पक्ष रूप से ऐसे नुकसान का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी भविष्यवाणी और क्षतिपूर्ति मृतक ने स्वयं की थी।

(25) क्या श्रीमती को बीमा दावा प्राप्त हुआ? मनोहर लाल पॉलिसी-धारक के नामांकित व्यक्ति के रूप में डेमी देवी को अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे से काटा जा सकता है, यह निर्धारित किया जाने वाला अगला प्रश्न है। इंग्लैंड में, घातक दुर्घटना अधिनियम, 1959 की धारा 2(1); ने यह प्रावधान किया है कि-

"घातक दुर्घटना अधिनियम, 1846 के तहत किसी भी कार्रवाई में किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में क्षति का आकलन करते समय, किसी भी बीमा धन, लाभ, पेंशन या ग्रेच्युटी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जो इसके मृत्यु के परिणामस्वरूप भुगतान किया गया है या किया जाएगा या किया जा सकता है।"

ब्रैडबर्न बनाम ग्रेट वेस्टर्न राय कंपनी (15) (सुप्रा), में यह माना गया कि "प्रतिवादी की लापरवाही के कारण हुई चोटों के लिए एक कार्रवाई में, वादी द्वारा दुर्घटना बीमा पॉलिसी पर प्राप्त राशि को नुकसान में कमी के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।" ***डाल्बी बनाम भारत और लंदन लाइफ एश्योरेंस कंपनी***[19] में, यह देखा गया कि-

"जो कोई खुद का बीमा कराने के उद्देश्य से प्रीमियम का भुगतान करता है, वह इस आधार पर भुगतान करता है कि बीमाकृत घटना घटित होने पर मुआवजा पाने का उसका अधिकार उसके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के बराबर है; यह एक प्रतिफल है, अगर उसे यह मिल जाए तो इससे भी बड़ी बात यह है कि उसे यह कभी भी किसी कीमत पर नहीं मिलेगा।"

इस मामले का जिक्र करते हुए***, ब्रैमवेल बी ने ब्रैडबर्न बनाम ग्रेट वेस्टर्न राय में कहा। कंपनी (15) (सुप्रा)***। :

"वह निर्णय वर्तमान मामले पर असर डालने वाला एक प्राधिकार है, क्योंकि इसमें निर्धारित सिद्धांत लागू होता है, और दिखाता है कि वादी उस लाभ को बरकरार रखने का हकदार है जिसके लिए उसने प्रतिवादियों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के अलावा भुगतान किया है।"

[19] (1854) 15 C.B. 365.

श्रीमती दमयंती देवी आदि बनाम श्रीमती सीता देवी आदि(तुली,नयायाधिपती)
श्रीमती सीता देवी आदि
इसी मामले में पिगोट बी ने कहा:-

"वादी प्रतिवादियों की लापरवाही के कारण उसे हुए नुकसान की वसूली करने का हकदार है और वादी ने तीसरे व्यक्तियों के साथ एक अनुबंध के तहत खुद को जो अधिकार दिया है, उसे खत्म करने का कोई कारण या न्याय नहीं है, जिसके द्वारा उसने भुगतान के लिए सौदेबाजी की है उसके साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में एक धनराशि दी जाएगी। उसे वह धनराशि दुर्घटना के कारण नहीं मिलती है, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि उसने आकस्मिकता के लिए एक अनुबंध किया है; उसे इसका हकदार बनाने के लिए एक दुर्घटना घटित होनी चाहिए, लेकिन यह दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसका अनुबंध है, जो उसे इसे प्राप्त करने का कारण है।"

(26) ***प्रकाश और अन्य बनाम दिल्ली दयाल बाग डेयरी लिमिटेड***[20] में 15 नवंबर, 1957 को दिया गया इस न्यायालय की एक खंडपीठ का फैसला हमारे संज्ञान में लाया गया है, जिसमें यह कहा गया था: -

"इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि मृतक मोहिंदर गुप्ता की जीवन बीमा की दो पॉलिसियों के तहत, वादी नंबर 1, उनकी विधवा को पहले ही 19,804/- रुपये मिल चुके हैं और विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने बहुत ही सही ढंग से उसके दावे को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके मामले में उसके पति की मृत्यु के कारण उसे हुए वित्तीय लाभ को किसी भी नुकसान के आंकड़े पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाना था। वादी के विद्वान वकील ने इन परिस्थितियों में, इस अपील में उसकी ओर से दावा नहीं किया है।"

इस मुद्दे पर कोई अन्य चर्चा नहीं है। वह दावा घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ क्योंकि दुर्घटना 4 जुलाई, 1949 को हुई थी। उस अधिनियम की धारा 1 के तहत, उल्लेखित चार उत्तराधिकारियों को मुआवजा दिया जाना था (यहां उनमें से प्रत्येक को हुए नुकसान के अनुपात में)। उस संदर्भ में कि विधवा द्वारा प्राप्त बीमा की राशि को उस मुआवजे की राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया था जिसके लिए उसे हकदार माना गया था। ऐसा विचार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दावे पर लागू नहीं होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक द्वारा स्वयं बीमा पॉलिसी लेने से उसकी मृत्यु के कारण कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा लाभ प्राप्त हुआ है। बीमा पॉलिसी से लाभ, यदि कोई हो, नामांकित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधियों को मिलता है, इसलिए नहीं पॉलिसी धारक की मृत्यु का कारण बनने में गलत कर्ता के कपटपूर्ण कार्य का, लेकिन

[20] 1967 A.C.J. 82.

एक अनुबंध के आधार पर जो मृतक ने बीमाकर्ता के साथ दर्ज किया था जिसके तहत उसने प्रीमियम का भुगतान किया था। बीमा राशि वास्तव में क्षमता के संबंध में मुआवजे का प्रतिनिधित्व करती है मृतक को बचाने के लिए जो दुर्घटनावश उसकी मृत्यु के समय मौजूद था और भविष्य में भी जारी रहेगा। चूँकि अपीलकर्ताओं के लिए मुआवजे का निर्धारण करते समय हमने उन बचतों पर ध्यान नहीं दिया है जो मनोहर लाई द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान की गई होती यदि वह अपना सामान्य जीवन जीते होते, हम उसकी मृत्यु पर विधवा द्वारा प्राप्त बीमा राशि के कारण किसी भी कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

(27) अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या एकमुश्त भुगतान के आधार पर निर्धारित मुआवजे की राशि पर कोई विचार किया जाना चाहिए। ***भारत संघ और अन्य बनाम वीरानवाली और अन्य***[21] मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि-

"एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने का लाभ कीमतों में वृद्धि और रुपये के मूल्य में प्रगतिशील कमी से समाप्त हो जाता है। मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमें नहीं लगता कि निचली अदालत द्वारा तय की गई क्षति को अनुचित रूप से अत्यधिक माना जा सकता है। जैसा कि पंजाब उच्च न्यायालय ने ***वैनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लिमिटेड बनाम सरला देवी और अन्य***[22] मामले में देखा, 'मृत्यु से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की गणना का कोई मात्रात्मक पैमाना नहीं है और कानून की अदालतों को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना चाहिए। एक उचित और निष्पक्ष आंकड़े पर पहुंचने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करें। न्यायालय का कार्य यथासंभव सर्वोत्तम पूंजीगत राशि का अनुमान लगाना है जो वास्तविक आर्थिक लाभ के नुकसान के लिए उचित मुआवजे का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका आश्रितों ने उचित रूप से आनंद लेने की उम्मीद की होगी यदि मृतक की हत्या नहीं हुई थी।

ऐसा करने में, अनुमान भिन्न होने की संभावना है और जब तक ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए अनुमान को अनुचित नहीं कहा जा सकता है, भले ही एक अलग अनुमान संभव हो, यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

कुछ अन्य निर्णय हमारे संज्ञान में लाए गए हैं जिनमें क्षति की राशि से 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच की कटौती की गई थी, जैसा कि इस तथ्य के आधार पर निर्धारित किया गया था कि राशि

[21] 1967 P.L.R. Delhi Section 85
[22] A.I.R. 1959 Pb. 297.

का भुगतान एकमुश्त किया जा रहा था जबकि लाभ से मृतक दावेदारों को महीने-दर-महीने जमा होता। चूंकि हमने अपीलकर्ताओं को देय मुआवजा उस राशि के आधार पर निर्धारित किया है जो मनोहर लाल द्वारा उनकी मृत्यु की तारीख पर उनके भरण-पोषण के लिए योगदान दिया जा रहा था, और भविष्य के वर्षों में उस राशि में वृद्धि पर विचार नहीं किया गया है। उनकी आय में वृद्धि, जैसा कि रिकॉर्ड पर प्रस्तुत खातों से स्पष्ट है, और न ही सभी वस्तुओं की कीमतों में निरंतर और निरंतर वृद्धि के कारण उस मुआवजे में वृद्धि हुई है, जो 1966 के बाद से 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है, हम विचार करते हैं इस कारण मुआवजे की राशि में कोई कमी नहीं की जा सकती। यह सच है कि दावेदारों को जो राशि प्राप्त होगी, अगर विवेकपूर्ण तरीके से निवेश किया जाए तो उससे कुछ आय हो सकती है, लेकिन ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर मुआवजे की राशि को कम करने का कोई आधार नहीं है। कोई कटौती न करने का एक अन्य कारण यह है कि दावेदार पहले ही लगभग छह वर्षों से उनके कारण मुआवजे से वंचित हैं, जो कि उन वर्षों की संख्या का 25 प्रतिशत है जिनके आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है। और उस अवधि के लिए कोई ब्याज की अनुमति नहीं दी गई है। उम्र बढ़ने के साथ अपीलकर्ताओं की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, इस तथ्य को उचित मुआवजे का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है और इस कारण से भी इस खाते में कोई कटौती संभव नहीं है।

(28) इस मामले में अंतिम मुद्दा यह है कि कानूनी प्रतिनिधियों की निर्भरता किस उम्र तक निर्धारित की जानी है। यह कारक प्रत्येक मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों पर निर्भर करेगा और कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मौजूदा मामले में, मृत्यु के समय मृतक की आयु 37 वर्ष थी, उसकी विधवा की आयु लगभग 33 वर्ष थी और उनकी सबसे बड़ी संतान, एक बेटी, लगभग 11 या 12 वर्ष की थी। दोनों बेटे अभी कम उम्र के थे। तीनों बच्चे स्कूल जा रहे थे और उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी है। लड़की अब विवाह योग्य हो गई है और उसे अपनी शादी के लिए धन की आवश्यकता होगी। बेटे भी अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं और उन्हें जीवन में बसने के लिए धन की आवश्यकता होगी। इसलिए, मृतक पर उनकी निर्भरता काफी लंबे वर्षों तक थी।

(29) मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे को रुपये के रूप में निर्धारित करते हैं। हालांकि यह आंकड़ा 60,000.00 रुपये है। राउंड फिगर बनाने के लिए 62,100 का खर्च आया है। इस राशि में से रु. 20,000.00 का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा और शेष राशि अन्य दो उत्तरदाताओं, ट्रक के मालिक और चालक द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से दी जाएगी। बीमा पॉलिसी की शर्तों के कारण बीमा कंपनी

श्रीमती सीता देवी आदि

का दायित्व सीमित कर दिया गया है। मुआवजे की राशि दावेदारों के बीच निम्नानुसार विभाजित की जाती है: -

श्रीमती दमयंती देवी (विधवा) ... रु. 21,000.00

परवेश कुमारी (बेटी)... रु. 15,000.00

सरवन कुमार (पुत्र) ... रु. 12,000.00

मजिंदर कुमार (पुत्र) ... रु. 12,000.00

बीमा कंपनी से जो राशि प्राप्त होगी वह अपीलकर्ताओं द्वारा उसी अनुपात में साझा की जाएगी।

(30) अपील को तदनुसार सभी लागतों के साथ स्वीकार किया जाता है और उपरोक्त शर्तों में एक डिक्री पारित की जाती है। लागत का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।

(31) इस मामले में, दुर्घटना 23 सितंबर 1960 को पंजाब रोडवेज की कार नंबर पीएनएफ 5370 और बस नंबर पीएनजे 6441 के बीच हुई। हरपाल सिंह थापर कार में यात्रा कर रहे यात्रियों में से एक थे जिनकी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। दावा उनकी मां श्रीमती इंदर कौर और उनकी विधवा श्रीमती फूल कुमारी द्वारा दायर किया गया था। श्रीमती इंदर कौर 3,000.00 रुपये के मुआवजे का हकदार माना गया जबकि श्रीमती फूल कुमारी का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसे बीमा की पॉलिसी के कारण 25,000.00 रुपये मिले थे। ट्रिब्यूनल द्वारा 10 सितंबर, 1962 को दिए गए फैसले के खिलाफ, श्रीमती फूल कुमारी थापर द्वारा इस न्यायालय में 1963 का एफएओ 33 दायर किया गया था। उस अपील पर दुर्घटना में मारे गए अन्य व्यक्तियों के कानूनी प्रतिनिधियों या चोटों का सामना करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर नौ अन्य अपीलों के साथ सुनवाई की गई थी। ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दुर्घटना में शामिल कार और बस के चालक समान रूप से दोषी थे, और इसलिए, दावेदार पंजाब रोडवेज के मालिक पंजाब राज्य से उनके लिए निर्धारित मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत पाने के हकदार थे। अपील में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि बस की लापरवाही 75 प्रतिशत थी और इसलिए, प्रत्येक दावेदार को देय मुआवजे की राशि निर्धारित राशि का 75 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि बस का चालक अकेले लापरवाह था और मुआवजे की पूरी राशि पंजाब राज्य के खिलाफ दी जानी चाहिए थी। हमने साक्ष्यों का अध्ययन किया है और इस मुद्दे पर

विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष से अलग होने का कोई कारण नहीं है। लेटर्स पेटेंट के खंड अत: उस निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

(32) श्रीमती फूल कुमारी के मामले में, न्यायाधिकरण ने इस आधार पर उन्हें देय मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की कि उन्हें पति की मृत्यु पर बीमा राशि के रूप में 25,000.00 रु. प्राप्त हुए थे। हमारे विचार में, बीमा राशि के 25,000.00 रुपये को की राशि को विद्वान न्यायाधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उसे देय मुआवजे का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए, यह मामला श्रीमती फूल कुमारी को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए ट्रिब्यूनल, जालंधर को भेजा जाएगा। मृतक केवल 29 वर्ष का था और उसके भाई ने बताया कि वह लुधियाना में कुछ व्यवसाय कर रहा था। आयकर व्यवसायी, जिसने मृतक के आयकर मामलों को संभाला था, गवाह-बॉक्स में उपस्थित होकर उस वार्षिक आय का विवरण दिया, जिस पर मृतक का मूल्यांकन किया गया था, लेकिन मृतक की उसके व्यवसाय से आय दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश भी इस मामले में नहीं गये। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करते हैं और श्रीमती को देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए मामले को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जालंधर (जिला और सत्र न्यायाधीश, जालंधर) को भेज देते हैं। फूल कुमारी ने पार्टियों को मृतक हरपाल सिंह की आय और उनकी मृत्यु के कारण उनके कानूनी प्रतिनिधियों को हुए नुकसान के संबंध में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया। मुआवजे की राशि दमयंती देवी के मामले में की गई टिप्पणियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 22 दिसंबर, 1971 को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है

(33) इस मामले में दुर्घटना 22 अगस्त 1960 को हुई, जिसके परिणामस्वरूप शंकर दास की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय वह केवल 33 वर्ष के थे और हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग में उपमंडल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। तब वह 560.00 रुपए प्रति माह का वेतन प्राप्त कर रहे थे। दावा उनकी विधवा श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा दायर किया गया था, अपनी ओर से और अपने तीन नाबालिग बच्चों की ओर से, जिनमें से दो बेटियाँ और एक बेटा है। दावा की गई मुआवजे की राशि रु. 3,38,800.00 थी लेकिन ट्रिब्यूनल ने मात्र 36,600.00. रुपए की राशि प्रदान की। अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस राशि को बढ़ाकर रु. 50,000.00 रु. कर दिया गया जिस मे से विधवा को 32,000.00 रुपये देय किये गये और प्रत्येक नाबालिग बच्चे का हिस्सा 6,000.00. रुपये के रूप में निर्धारित किया गया। मुआवजे की राशि पंजाब राज्य द्वारा देय

है क्योंकि दुर्घटना पंजाब रोडवेज के स्वामित्व वाली बस के चालक की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का परिणाम थी।

(34) ट्रिब्यूनल ने राय व्यक्त की कि मृतक 15 साल और जीवित रह सकता था और इसलिए, उसके कानूनी प्रतिनिधियों को देय मुआवजा उसी आधार पर निर्धारित किया गया। ट्रिब्यूनल ने आगे मृतक का वेतन रु. 500.00 प्रति माह है जैसा कि दावा आवेदन में बताया गया है, और रुपये के उनके योगदान के आधार पर उनके परिवार के सदस्यों को प्रति माह 300.00 रु. मुआवजा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं को देय मुआवजे की राशि 54,000.00 रुपये की गणना की। लेकिन उन्होंने इस राशि को घटाकर रु. 36,600.00 इस आधार पर की कि मृतक ने कुछ संपत्ति या नकदी छोड़ी होगी जिसका खुलासा नहीं किया गया था और जिसका मूल्य उसने 10,000.00 रुपये के रूप में निर्धारित किया था। एकमुश्त भुगतान के कारण, उन्होंने 7,400.00. रुपये की एक और राशि काट ली। उन्होंने 36,600.00 रुपये का अवार्ड दिया। श्रीमती कौशल्या देवी को 21,600.00. रुपए और र उसके प्रत्येक बच्चे को 5,000.00.रु.। तीनों बच्चों की उम्र 8, 5 और 3 साल थी और उनके हिस्से के संबंध में, यह निर्देश दिया गया था कि राशि को राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निवेश किया जाना चाहिए ताकि वयस्क होने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

(36) इस मामले में भीम सेन शर्मा, एक स्कूल शिक्षक, उम्र 43 वर्ष, को 22 जनवरी, 1962 को पधाना गांव के पास ग्रैंड ट्रंक रोड पर लगभग 3-45 बजे पंजाब रोडवेज की बस संख्या पीएनई 8388 ने टक्कर मार दी। मृतक साइकिल से जा रहा था। उनकी विधवा श्रीमती शांति देवी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत मुआवजे के लिए दावा दायर किया, जिसमें 30,000.00. रुपये की राशि का दावा किया गया। ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया कि 11,520.00 रुपये की राशि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के रूप में देय थे, लेकिन श्रीमती शांति देवी को केवल 3000 रुपये की अनुमति दी गई और 8,520 रुपये इस आधार पर रोक लिए कि उसके बच्चों को 8,520.00 रुपये देय होंगे कि उनकी ओर से कोई दावा नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक की आय रु. 135.00 प्रति माह और वह भरण-पोषण के लिए परिवार को प्रति माह 80.00 रु. का योगदान दे रहा था। देय मुआवज़ा केवल 12 वर्षों के संबंध में निर्धारित किया गया था और इस प्रकार 11,520.00 रुपये की राशि प्राप्त हुआ। अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुआवज़ा बढ़ाकर रु. 20,000.00, श्रीमती शांति देवी को 8,000.00 रु. और प्रत्येक बच्चे को 3,000.00 रुपये की अनुमति दी। विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य से

प्रभावित थे कि 20,000.00 रुपये की राशि को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की उचित ब्याज दर पर निवेश किया जा सकता है और यदि ऐसा निवेश किया जाता है तो अपीलकर्ताओं को 100 रुपये की आय प्राप्त होगी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय व्यक्त की कि मृतक रुपये का उनकी विधवा और चार बच्चों को उनके भरण-पोषण के लिए प्रति माह 100.00 रुपये योगदान दे रहा था। मामले में परिवार में जीवन की लंबी उम्र के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया है और न ही अपीलकर्ताओं की उम्र रिकॉर्ड पर कहीं बताई गई है और इसलिए, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से निर्धारित किया है कि मुआवजा 17 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा, अर्थात यह मानते हुए कि मृतक 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहा होगा। लेटर्स पेटेंट अपील में हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों और उनके द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है। परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

(37) पंडित अमरथ नाथ (सरकारी ठेकेदार) 1 अप्रैल 1962 को प्रातः लगभग 10 बजे बावा सिंह के साथ तलवंडी-ज़ीरा रोड पर साइकिल पर जा रहे थे, जब वह श्रीमती सोमा रानी, प्रतिवादी 1 के ट्रक नंबर पीएनजे 8320 से टकरा गया था। उस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, अमर नाथ की मृत्यु हो गई। ट्रक मोहिंदर सिंह, प्रतिवादी 2 द्वारा चलाया जा रहा था, और रूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, प्रतिवादी 3 के साथ बीमाकृत था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत एक दावा मृतक की विधवा श्रीमती पूरण देवी द्वारा अपनी ओर से तथा अपने नाबालिग पुत्र ब्रह्म दत्त एवं नाबालिग पुत्री संतोष कुमारी की संरक्षक के रूप में दायर किया गया था। मृतक अपने पीछे दो अन्य बेटियां विजय बाला और स्वामा देवी और एक बेटा सुरेंद्र कुमार भी छोड़ गया है, जो बालिग हैं। ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर, मृतक की आय 400.00 रुपये प्रति माह आंकी गई थी, जिसमें से परिवार के भरण-पोषण के लिए उसका योगदान 300.00 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, इस आधार पर कि मृतक प्रति माह 100.00 रुपये अपने स्वयं के रखरखाव पर खर्च करता रहा होगा। उनकी विधवा श्रीमती पूरन देवी के बयान के आधार पर मृत्यु के समय मृतक की उम्र 54 वर्ष निर्धारित की गई थी। मुआवजे की राशि पांच साल तक प्रति माह 300.00 रुपये के आधार पर 18,000.00 रुपये निर्धारित की गई। इस राशि को छह बराबर शेयरों में विभाजित किया गया था और सुरेंद्र कुमार को मुआवजे की कोई राशि इस आधार पर नहीं दी गई थी कि उन्हें मुआवजे की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह अपना जीवन यापन कर सकते थे। मृतक के लगभग 17 वर्षीय दूसरे बेटे ब्रह्म दत्त का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह स्वावलंबी बनने के लिए पर्याप्त युवा था। मृतक की विधवा श्रीमती पूरन देवी का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके पास 25,000.00 रुपये से 30,000.00 रुपये की

नकदी थी और दो या तीन मकान थे, जिनका किराया 30.00 रुपये प्रति माह था। आवासीय मकान जिसकी कीमत लगभग रु.10,000.00 है। उसे बीमा पॉलिसी के कारण 2,800.00 रुपये की राशि भी प्राप्त हुई थी और उसे 2,581.38 रुपये मिलने थे जो सरकार द्वारा मृतक को उसके अनुबंध के संबंध में देय थे। अन्य तीन कानूनी प्रतिनिधियों, अर्थात् संतोष कुमराय, विजय बाला और स्वर्णा देवी को प्रत्येक को 3,000.00 रुपये की अनुमति दी गई थी। यह अवार्ड 7 मार्च, 1964 को दिया गया था, जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में अपील दायर की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजे के कारण 18,000.00 रुपये की राशि परिवार के लिए पर्याप्त मुआवजा थी और कानूनी प्रतिनिधियों को उस राशि से वंचित करने का कोई कारण नहीं था। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मृतक के सबसे बड़े बेटे सुरेंद्र कुमार को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन विधवा को 6,000.00 रुपये और अन्य चार बच्चों (3,000.00 रुपये प्रत्येक) के बीच मुआवजा बांट दिया। यह आदेश 4 मार्च 1970 को किया गया था, जिसके विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड x के तहत वर्तमान अपील दायर की गई है। मृतक की मृत्यु के समय बेटियों की उम्र 21, 15 और 9 साल थी जबकि बेटों की उम्र 19 और 17 साल थी और विधवा की उम्र 51 साल थी, जैसा कि स्वयं गवाह के रूप में श्रीमती पूरन देवी ने बताया।

विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक अमर नाथ की उम्र इस आधार पर 54 वर्ष निर्धारित की कि उसकी विधवा श्रीमती पूरन देवी ने अपनी उम्र 52 साल बताई थी और उनके पति उनसे दो साल बड़े थे। यह बयान 19 जुलाई, 1963 को दिया गया था, जबकि दुर्घटना 21 अप्रैल, 1962 को हुई थी। इस बयान के अनुसार, मृत्यु के समय मृतक की उम्र 53 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनकी उम्र 54 के बजाय 5 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए थी। मृतक के छोटे भाई श्री राम किशन, ए.डब्ल्यू. 2 के रूप में सामने आए, और गवाही दी कि उनके पिता की मृत्यु 78 वर्ष की आयु में हुई थी। इस प्रकार, मामले में परिवार में जीवन की लंबी उम्र के सबूत दिए गए और उस आधार पर केवल पांच साल के लिए मुआवजा देना बेहद अपर्याप्त था। इस मामले की परिस्थितियों में, हमें लगता है कि यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि मृतक कम से कम 65 वर्ष की आयु तक जीवित रहता यदि दुर्घटना के कारण उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ होता। मुआवजा 12 साल के आधार पर निकाला जाना चाहिए था।

(38) श्रीमती पूरन देवी ने बतौर ए.डब्ल्यू.6 बताया कि मृतक प्रति माह लगभग 800.00 रुपये कमाता था और उसे घरेलू खर्च के लिए 500.00 रुपये देता था। मामले में दायर आयकर मूल्यांकन आदेश से पता चलता है कि मूल्यांकन वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिए मृतक की

मूल्यांकन योग्य आय क्रमशः 6,001.00 रुपये और 6,827.00 रुपये थी, ताकि मृत्यु के समय उसकी आय सुरक्षित रूप से प्रति माह 550.00 रुपये माना गया। हालाँकि, आकलन वर्ष 1962-63 के लिए अनुबंधों से उनकी आय 5,331.00 रुपये थी और यह एकमात्र आय थी जो उनकी मृत्यु के बाद परिवार को खो गई थी। उस आधार पर मुझे लगता है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा प्रति माह 300.00 रुपये उचित मुआवजे के रूप में निर्धारित किया गया था। उस राशि को विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था। 12 वर्षों के लिए प्रति माह 300.00 रुपये के हिसाब से मुआवजे की राशि 43,200.00 रुपये बनती है।

(39) विद्वान न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष दर्ज किया कि मृतक एक संयुक्त हिंदू परिवार था जो मूल्यांकन आदेशों से स्पष्ट है। इसलिए, उस निष्कर्ष पर, मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्ति पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं था। वह संपत्ति परिवार की थी और इसलिए, दुर्घटना से मृतक की असामयिक मृत्यु के कारण मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को इससे कोई असामयिक लाभ नहीं मिला। 1969 के एफ.ए.ओ. 24 का निर्णय करते समय ऊपर बताए गए कारणों से बीमा की राशि पर विचार नहीं किया जा सका। अनुबंध के कारण सरकार से मृतक को देय 2,581.38 रुपये की राशि प्राप्त होनी थी। सभी उत्तराधिकारियों द्वारा, न कि अकेले श्रीमती पूरन देवी द्वारा, इसलिए, इस आधार पर उन्हें मुआवजे से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह राशि भी संयुक्त हिंदू परिवार की थी और इसलिए, देय मुआवजे की राशि से कटौती नहीं की जा सकती थी। इस मामले में ऊपर दर्ज कारणों से एकमुश्त भुगतान पर कोई कटौती नहीं की जाती है। तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं और अपीलकर्ताओं के दावों पर 43,200.00 रुपये की राशि को उनके बीच निम्नानुसार विभाजित करने का आदेश देते हैं: -

श्रीमती पूरन देवी (विधवा) ...	रु. 15,000.00
स्वर्णा देवी (बेटी)...	रु. 4,000.00
सुरेंद्र कुमार (पुत्र)...	रु. 22,000.00
ब्रह्म दत्त (पुत्र)...	रु. 4,000.00
संतोष कुमारी (बेटी)...	रु. 8,000.00
विजय बाला (बेटी)...	रु. 10,000.00

बीमा कंपनी से जो राशि प्राप्त हुई है या प्राप्त होगी वह भी उसी अनुपात में विभाजित की जाएगी। अपीलकर्ता इस अपील की अपनी लागत के हकदार हैं जिसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा